कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 2597 /12—1 देहरादूनः दिनांकः 28 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौडिखाल—माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।** (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11142/2015)

संदर्भः— भारत सरकार की पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/201/2019/एफ.सी./06 दिनांक 29—04—2020 एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/201/2019/एफ.सी./1441 दिनांक 14—02—2024।

महोदय,

प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई थी जिसका उत्तरालेख निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 511/12—1 दिनांक 12—05—2022 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया था—

1— सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या—

बिन्दु सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपति शर्त	अनुपालन ऑख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता विभाग का सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के आवश्यक गैर वन भूमि का म्यूटेशन सम्पन्न करा दिया गया है। **(संलग्नक—1)**
3	**क्षतिपूरक वनीकरण**	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 17.642 है0 सिविल भूमि खसरा नं0 714,735,737,756 ग्राम माला एवं खसरा नं0 1140,1141 ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जाए।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि 17.642 है0 सिविल भूमि खसरा नं0 714,735,737,756 ग्राम माला एवं खसरा नं0 1140,1141 ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि रु0 59,48,600.00 (उन्सठ लाख अड़तालीस हजार छः सौ) मात्र UTR No. PUNB102017886363 दिनांक 21—01—2021 से जमा किया गया है चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक—2)**
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण करा दिया गया है। **(संलग्नक—3)** उक्त भूमि के नोटिफिकेशन हेतु शासन का पत्र प्रेषित किया गया है

	ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गयो हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शीघ्र ही नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न कर प्रेषित कर दी जाएगी।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा करवा दी गई है। (संलग्नक–2 के अनुसार)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 8.821 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 8.821 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रु0 3,86,35,980.00 (तीन करोड़ छियासी लाख पैतीस लाख नौ सौ अस्सी) मात्र UTR No. PUNB102017886363 दिनांक 21–01–2021 से जमा किया गया है। **(संलग्नक–2 के अनुसार)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा किये जाने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 522 (including 19 saplings) होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 522 (including 19 saplings) होगी एवं वृक्ष

	सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे एवं उनके द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7	The DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA Area.	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
8	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidlines para 11.2. The state govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 8 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सभी निधियां केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा की गई है।
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। **(संलग्नक–6)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाने हेतु सहमत हैं। **(संलग्नक–7)**
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें
13	सी.डब्ल्यू.एल.उब्ल्यू. / एन.बी.उब्ल्यू.एल. एफ.ए. सी. / आईआर.सी. की शिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर / ओवर पास प्रदान करेगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि सी.डब्ल्यू.एल. उब्ल्यू. / एन.बी.उब्ल्यू.एल. एफ.ए.सी. / आईआर.सी. की शिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर / ओवर पास बनाए जाऐंगे।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

16	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
18	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, यदि यह वन विभाग द्वारा किया जाएगा तो इस कार्य हेतु उचित धनराशि वन विभाग को प्रदान की जाएगी।
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था सहमत है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं

	के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।

2– प्रश्नगत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व द्वारा अपने पत्रांक 1008 / 12–1 दिनांक 25–04–2025 से अवगत कराया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 03(क) के अनुसार वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 17.642 है0 सिविल भूमि खसरा नं0 714,735,737,756 ग्राम माला एवं खसरा नं0 1140,1141 ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा" के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि खसरा सं0 714,735,737,756 कुल रकबा 6.570 है0 मध्ये 5.13 है0 भूमि जो कि निदेशक / वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून के पत्रांक 849 / 12–1 दिनांक 14–09–2023 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनउपयुक्त पायी गई थी तदोपरान्त पुनः अन्य राज्य सिविल भूमि खाता सं0 15 श्रेणी 9(3) (क) खसरा सं0 1359 मध्ये 8.590 है0 कुल 5.13 है ग्राम कसान पट्टी उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चयनित की गयी है जिसकी अमल दरामद उनके द्वारा सम्पन्न की जा चुकी है तथा उक्त क्षेत्र के अनुसार ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम भी गठित की गई है तथा उनके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(क) को निम्न प्रकार से संशोधित करने हेतु सक्षम स्तर को प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है "विषयगत परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर अन्य राज्य सिविल भूमि खाता सं0 15 श्रेणी 9(3) (ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 8.590 है0 कुल 5.13 है ग्राम कसान पट्टी उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर एवं खसरा नं0 1140,1141 ग्राम कोटा तहसील यमकेश्वर में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा" **(संलग्नक–8)**

3– उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र सं0 08बी0 / यू.सी.पी. / 06 / 201 / 2019 / एफ.सी. / 1441 दिनांक 14–02–2024 से प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर ई.डी.एस. आपत्तियां लगाई गई थी जिसका उत्तरालेख कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व द्वारा अपने पत्रांक 1009 / 12–1 दिनांक 25–04–2025 के माध्यम से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है–

क्र0सं0	ई.डी.एस. आपत्ति	उत्तरालेख
1	The State Forest department shall submit a fresh details of CA scheme(s) or if the CA area already have VDF/MDF then silvicultural scheme as per norms is required to be submitted.	1- A New CA area of 5.13 Ha. under khasra No. 1359 in place of Khasra no. 714,735,737,756 has been given and attached. copy of the required documents as sought given herewith. **(Annexure-9)** 2- CA scheme(s) of 5.13 ha and silviculture scheme of 12.512 ha is enclosed **(Annexure-10)**
2	The proposed diversion area is part of Rajaji Tiger reserve, so the state Forest department shall raise NPV as per guidlines for area falling in Tiger Reserve.	The proposed diversion area falls under Rajaji tiger rreserve so required NPV amount had been already submitted with transaction No. PUNB102017886363 Date 21-01-2021 **(As per Annexure -2)**
3	The state Forest Department shall ensure that black topping of road shall not be started before Stage-II approval.	User agency aggreed on No black topping work of the said road initiated.
4	The State Forest Department shall seek explanation of user agency and submit a report with a reason why the user agency has not attended the REC meeting.	As per DFO user agency informed that no any prior information was given regarding the REC meeting. so no any representative had appeared in the meeting while as per Nodal Office the information regarding REC was circulated to DFO & Concerned UA on dt. 11-01-2024

		via E-mail **(Copy attached).** For not attending the meeting a warning latter from DFO has already been issued to UA.
5	Displeasure of REC may be conveyed to the User Agency for not being present in the meeting.	User agency sincerely apologize for not attending the REC meeting and warning notice already issued by them to concerned departmental official.

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रेषित अनुपालन ऑख्या एवं ई.डी.एस. के उत्तरालेख के आधार पर उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2597 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– उप–निदेशक/उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।
3– National Project Constretion Corporetion Ltd., पी.एम.जी.एस.वाई.–कार्य, पी.आई.यू.,दुगड्डा, पौड़ी।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

फोन : 0135 2621669, फैक्स : 0135 2620933, e mail: director.rajaji@gmail.com ,

RAJAJI TIGER RESERVE

कार्यालय, वन संरक्षक / निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.

5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांकः - 1009 / 12–1 **दिनांक,** 25 **अप्रैल, 2025**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद– पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौडखाल–माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 है0 (earlier proposed 9.541ha) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ : आपका पत्रांक सं0 – 1887/12–1 देहरादून दिनांक 26.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पी.आई. यू. दुगड्डा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0 National Projects Construction Corporation limited Uttarakhand office Dehradun का पत्रांक सं0 UK0/PMGSY/07 दिनांक 24.04.2025 से भारत सरकार द्वारा लगाये गये आपत्तियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर निम्न इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है :–

क्र0सं0	शर्त	प्रतिउत्तर
1	The State Forest Department shall submit a fresh details of CA area(s) with CA scheme(s) or if the CA area already have VDF/ MDF then silvicultural scheme as per norms is required to be submitted.	1- A new CA area of 5.12 ha under khasra no. 1359 in place of khasra no. 714,735,737,756 has been given and attached. copy of the required documents as sought given herewith. **(Anx-1)** 2- CA scheme(s) of 5.12 ha and Silviculture scheme of 12.512 ha is enclosed. **(Anx-2)**
2	The proposed diversion area is part of Rajaji Tiger Reserve, so the State Forest Department shall raise NPV as per guidelines for area falling in Tiger Reserve.	The proposed diversion area falls under Rajaji tiger reserve so required NPV amount had been already submitted with in Transaction Id PUNB102017886363 Dated-14-07-2020 and verified nodal officer on dated 15-07-2020. **(Anx-3)**
3	The State Forest Department shall ensure that black topping of road shall not be started before Stage-II approval.	No black topping work of the said road initiated.
4	The State Forest Department Shall seek explanation of user agency and submit a report with a reason why the user agency has not attended the REC meeting.	User agency informed that no any prior information was given regarding the REC meeting. so no any representative had appeared in the meeting
5	Displeasure of REC may be conveyed to the User Agency for not being present in the meeting.	User agency sincerely apologize for not attending the REC meeting and warning notice already issued to concerned departmental official.

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का बिन्दुवार उत्तर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

सलंग्नः– यथोपरि

भवदीय,

(महातिम यादव)
उप वन संरक्षक / उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 1009 /12-1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(महातिम यादव)
उप वन संरक्षक/उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

D-f-A

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone/ Fax: 0135-2767611

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com

पत्रांक– 1887 / 12-1, देहरादूनः दिनांकः 26 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडोन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषयः–जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत नौड़खाल–गाला कोटा मोटर मार्ग से सिरासु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/11142/2015

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 201 / 2019 / एफ0सी0 / 1441,दिनांकः–14.02.2024 ।(प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा आयोजित आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक–24.01.2024 में की गयी चर्चा तथा प्रस्ताव में अतिरिक्त एक वर्ष की कार्यानुमति कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है।

अतः प्रस्ताव में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र दिनांक–29.04.2020 में अधिरोपित शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

...... डा0 रि0
...... 9518
...... संख्या 12-1
दिनांक 02-03-2024
...... आ0 का0 करें
...... आख्या देवें।
निदेशक

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या 1887 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निदेशक / वन संरक्षक, राजा जी टाइगर रिजर्व, उत्तरखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड,देहरादून।

(61)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/201/2019/एफ.सी./1541 दिनांक: 14 /02/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून 3513
पंजी0 सं0
पत्रावली
दिनांक 17-2-24

विषयः- जनपद- पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नौडखाल-माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 हे० (earlier proposed 9.541 ha) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11142/2015)**

सन्दर्भः- इस कार्यालय द्वारा आयोजित आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 24.01.2024 के उपरांत जारी किए गए कार्यव्रत (copy of MoM REC meeting is enclosed)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 24.01.2024 में चर्चा की गई तथा प्रस्ताव में अतिरिक्त एक वर्ष की कार्यानुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया:

1. The State Forest Department shall submit a fresh details of CA area(s) with CA scheme(s) or if the CA area already have VDF/ MDF then silvicultural scheme as per norms is required to be submitted.
2. The proposed diversion area is part of Rajaji Tiger Reserve, so the State Forest Department shall raise NPV as per guidelines for area falling in Tiger Reserve.
3. The State Forest Department shall ensure that black topping of road shall not be started before Stage-II approval.
4. The State Forest Department shall seek explanation of user agency and

सो० आ०/प्रभारी पौड़ी
आ० का० के०

प्र०व०सं०/नो०
16-2-24

submit a report with a reason why the user agency has not attended the REC meeting.

5. Displeasure of REC may be conveyed to the User Agency for not being present in the meeting.

प्रस्ताव मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र दिनांक 29.04.2020 मे लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त उपरोक्त शर्तों के साथ प्रस्ताव पर अतिरिक्त एक वर्ष की working permission हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

This bears the approval of competent authority.

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 14-02-2024 15:01:16

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

एन पी सी सी
NPCC
PROJECT EXCELLENCE SINCE 1957

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATIONLIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office Dehradun

दिनांक: 24/04/2025

पत्रांक संख्या: UKo/Pmgsy/07

सेवा में,
उप निदेशक/ उप वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून

विषय: जनपद– पौड़ी गढ़वाल में नौड़खाल माला से सिरासू मोटर मार्ग ८ ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या: FP/UK/ROAD/11142/2015

सन्दभ: पत्रांक संख्या: 989 /12–1 देहरादून, दिनांक: 21.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 03 बिन्दुओ पर आख्या चाही गयी थी, जिसकी विभाग को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं थी। दिनांक: 21.04.2025 को राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून में बैठक आहूत की गयी थी जिसके दौरान अवगत हुआ था जिसका उत्तर निम्नवत है;

शर्त की बिंदु संख्या	शर्त का विवरण	उत्तर
1	The State Forest Department shall ensure that black topping of road shall not be started before Stage-2 approval.	प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य अतिथि तक नहीं कराया गया है।
2	The State Forest Department shall seek explaination of user agency and submit a report with a reason why the user agency has not attended the REC meeting.	दिनांक: 24/01/2024 को आयोजित आर०ई०सी० की बैठक की जानकारी प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था नहीं प्राप्त थी जिस कारण प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा सका।
3	Displeasure of REC may be conveyed to the User Agency for not being present in the meeting.	प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था द्वारा पुष्टि की जाती है कि भविष्य में बैठक में प्रतिभाग न करने की पुर्नावृत्ति नहीं की जाएगी।

धन्यवाद,

भवदीय,
पी०आई०यू० दुगड्डा

Anx-1

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13 कि0मी0 के अन्तर्गत राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 9(3)(क) खसरा सं0 1359 मध्ये 8.590 है0 कुल 5.136 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक 53/08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0/2023 दिनांक 30.10.2023 से जारी आदेश के कम में ग्राम कसाण, पट्टी – उदयपुर-पल्ला, तहसील यमकेश्वर जनपद पौडी गढ़वाल के NON-ZA खतोनी खाता सं0 15 श्रेणी 9(3)(क) खसरा सं0 1359 मध्ये 8.590 कुल 5.1308 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया गया हैं। आज दिनांक 05-02-2024 को उक्त भूमि विभागीय कब्जे में ले ली गयी है, जो कि सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
व0आ0 / व0द0	वन क्षेत्राधिकारी ताल राजि भूमि	प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	उप प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	(मनोज ...) राजस्व विभाग (प्रतिनिधि)

Scanned with CamScanner

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13 कि0मी0 के अन्तर्गत राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 1(3)(ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 5.1308 कुल 8.590 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक 53/08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0/2023 दिनांक 30.10.2023 से जारी आदेश के कम मे ग्राम कसाण, पट्टी – उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौडी गढवाल के NON-ZA खतोनी खाता सं0 15 श्रेणी 1(3)(ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 5.1308 कुल 8.590 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया गया हैं। आज दिनांक 05.02.2024 को उक्त भूमि विभागीय कब्जे में ले ली गयी है, जो कि सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
व0आ0 / व0द0	वन क्षेत्राधिकारी तालराज	प्रभागीय वनाधिकारी भू0स0व0प्र0 लैन्सडौन	उप प्रभागीय वनाधिकारी भू0स0व0प्र0 लैन्सडौन	राजस्व विभाग (प्रतिनिधि)

Scanned with CamScanner

जियोरेफरेन्स मैप:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नौड़खाल माला कोटा से सिरासू मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 5.130 है०) ।

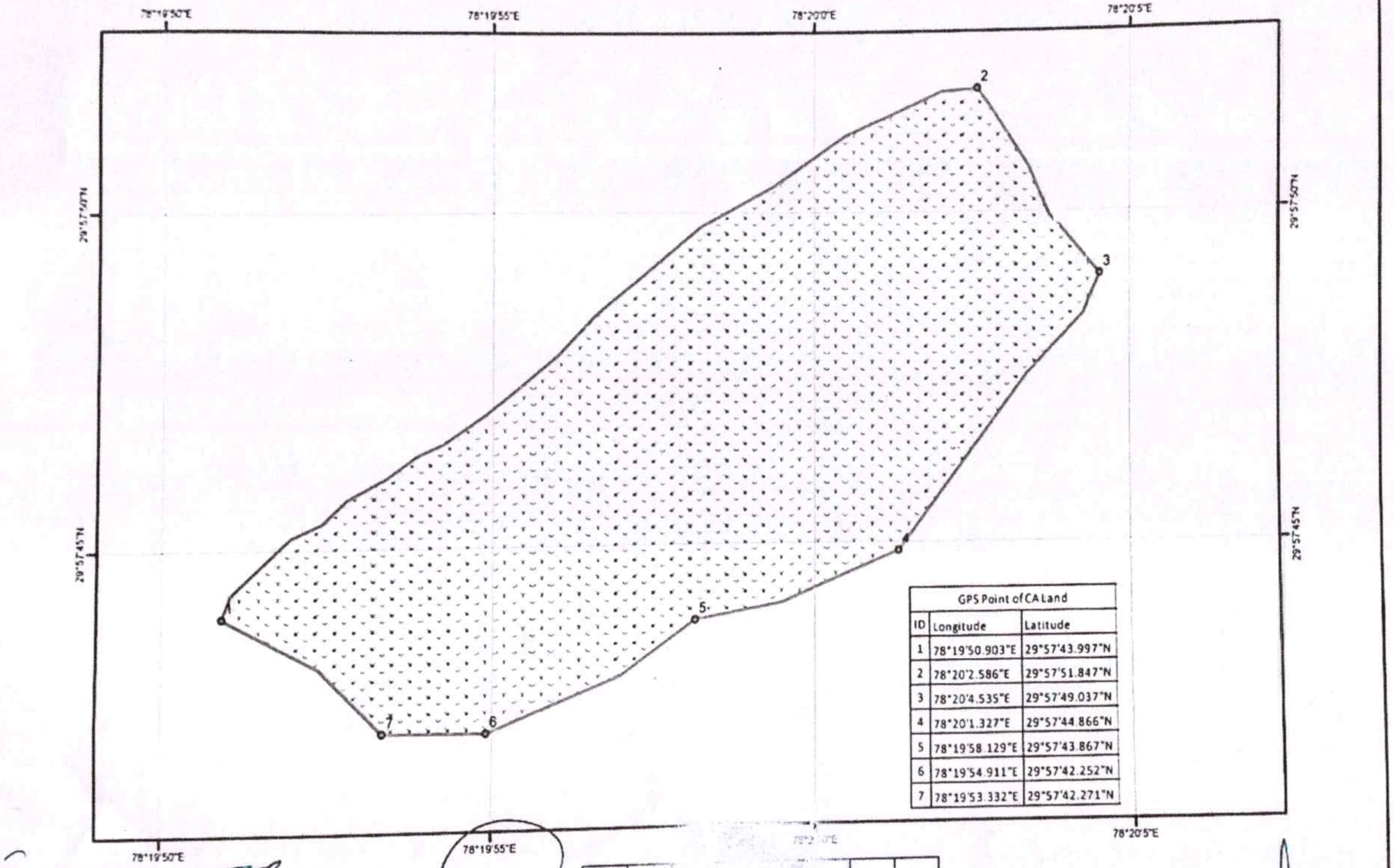

GPS Point of CA Land		
ID	Longitude	Latitude
1	78°19'50.903"E	29°57'43.997"N
2	78°20'2.586"E	29°57'51.847"N
3	78°20'4.535"E	29°57'49.037"N
4	78°20'1.327"E	29°57'44.866"N
5	78°19'58.129"E	29°57'43.867"N
6	78°19'54.911"E	29°57'42.252"N
7	78°19'53.332"E	29°57'42.271"N

वन क्षेत्राधिकारी
पाल रैंज
भू0स0 वन प्रभाग
लैंसडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

Scanned with CamScanner

डिजीटल मानचित्र :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नौड़खाल माला कोटा से सिरासू मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 5.130 है०)।

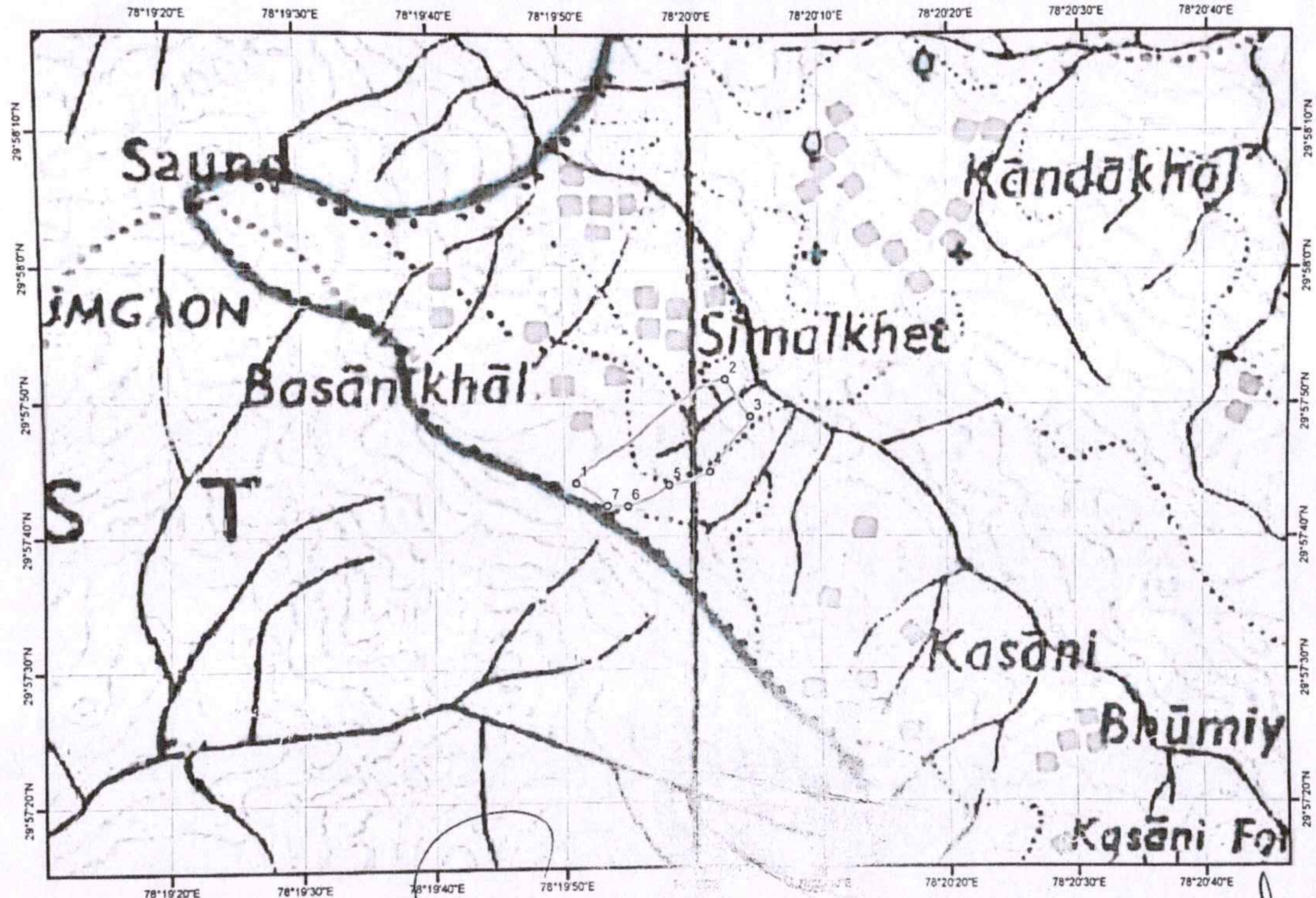

SOI Toposheet No 53K/5

GPS Point of CA Land		
ID	Longitude	Latitude
1	78°19'50.903"E	29°57'43.997"N
2	78°20'2.586"E	29°57'51.347"N
3	78°20'4.535"E	29°57'49.037"N
4	78°20'1.327"E	29°57'44.866"N
5	78°19'58.129"E	29°57'43.867"N
6	78°19'54.911"E	29°57'42.252"N
7	78°19'53.332"E	29°57'42.271"N

0 0.225 0.45 Kilometers

Legend

- GPS Pt of Proposed CA
- Reserve Forest Boundary
- Proposed CA

व०प०

वन क्षेत्राधिकारी
लाल ढांग रेंज
भूसंरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन

Scanned with CamScanner

Anx-2

कार्यालय,वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज

राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.
कुनांऊ, बैराज, पोस्ट – गंगाभोगपुर , जिला पौड़ी गढ़वाल
Email :- gohari.range1986@gmail.com

RAJAJI TIGER RESERVE राजाजी टाईगर रिजर्व

पत्रांक 573 /30 दिनांक 22.04.2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक / उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।

द्वारा :– वन्य जीव प्रतिपालक, चीला (हरिद्वार)

विषय :– जनपद –पौडी गढवाल में नोडखाल मालाकोटा रोड से सिरासू मोटर मार्ग ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या – **FP/UK/ROAD11142/2015**

संदर्भ :– आपका पत्रांक 988 / 12–1 दिनांक 21 अप्रैल 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जनपद– पौडी गढवाल में नोडखाल मालाकोटा से सिरासू मोटर मार्ग परियोजना निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित –12.512 है0 सिविल भूमि को Silviculture scheme के तहत 10 वर्षीय योजना का प्रांक्कलन तैयार कर मय संलग्नक सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

3169
121
23/04/2025

उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व
देहरादून

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज,
राजाजी टाईगर रिजर्व

पत्रांक 773/20 दिनांक 22/04/2025

वन्य जीव प्रतिपालक
चीला (हरिद्वार)
राजाजी टाईगर रिजर्व

सेवा मे,
उपनिदेशक / उपवनसंरक्षक, रा0टा0रि0
को सेवा मे मूल मे अग्रसारित।

स्थल विशिष्ट योजना (सहायतित प्राकृति पुनरोत्पादन कार्य) (एस0एस0पी0)

1. स्थान का विवरण

(1) रेंज का नाम :– गोहरी रेंज
(2) ब्लॉक एवं कक्ष सं0 – चयनित सिविल क्षेत्र कोटा
(3) सकल क्षेत्रफल हैक्टयर में :– 12.81 हैक्टयर
(4) शुद्व क्षेत्रफल हैक्टयर में :– 12.50 हैक्टयर
(5) जी0पी0एस0 लोकेशन :– अंक्षाश 30 07' 54.16''
देशान्तर 078 24' 46.62''

2. क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां

(1) वृक्ष प्रजाति

बाकली रोहणी, मालझन, हल्दु, कुसुम, सांदन, सैन, मन्दार एवं अंजीर

(2) झाडियां – लैन्टाना, गाजरघास, बांसा, मीठानीम, बेर पनवाड आदि

3. क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणी

(1) पशु :–

भालू, गुलदार, सुअर,
काकड, खरगोश, सियार लंगूर , बन्दर आदि

(2) पक्षी :–

मोर, मुर्गा, तीतर, धनेर, कबूतर, तौता आदि

4. प्राकृतवास सुधार के उद्देश्य

(क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक रोजगार योजना के अंतर्गत आरक्षित वन माला क0सं0 1,2,3 प्रस्तावित मोटर मार्ग के संमरेखण में उपयुक्त भूमि के बदले कोटा गांव सिविल क्षेत्र से भूमि हस्तान्तरण पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सहायतित पुनरोत्पादन कार्य करना।

Ryosh
वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व

क्षेत्र का पिछला इतिहास

प्रश्नगत क्षेत्र तत्कालीन लैंसडोन वन प्रभाग से बीट सहित क्षेत्र वर्ष 2002 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को हस्तान्तिरित है, जहां संरक्षण एवं सुधार कार्यवृत्त के अंतर्गत क्षेत्र मिश्रित वनो आच्छादित है।

क्षेत्र का ढाल :– विभिन्न दिशाओं में

भूतल रूप तथा मिट्टी का प्रकार

1. भूतल रूप – अतिढंगारी(पहाडी क्षेत्र)
2. वन का प्रकार – मिश्रित वन
3. मिट्टी का प्रकार – बलुई दोमट, मिश्रित

जलवायु सम्बन्धी सूचना

1. तापमान – अधिकत्तम 43 डिग्री से0, न्यूनतम 5 डिग्री सै0
2. वर्षा – अधिकत्तम न्यूनतम

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व

क्षेत्र का मानचित्र

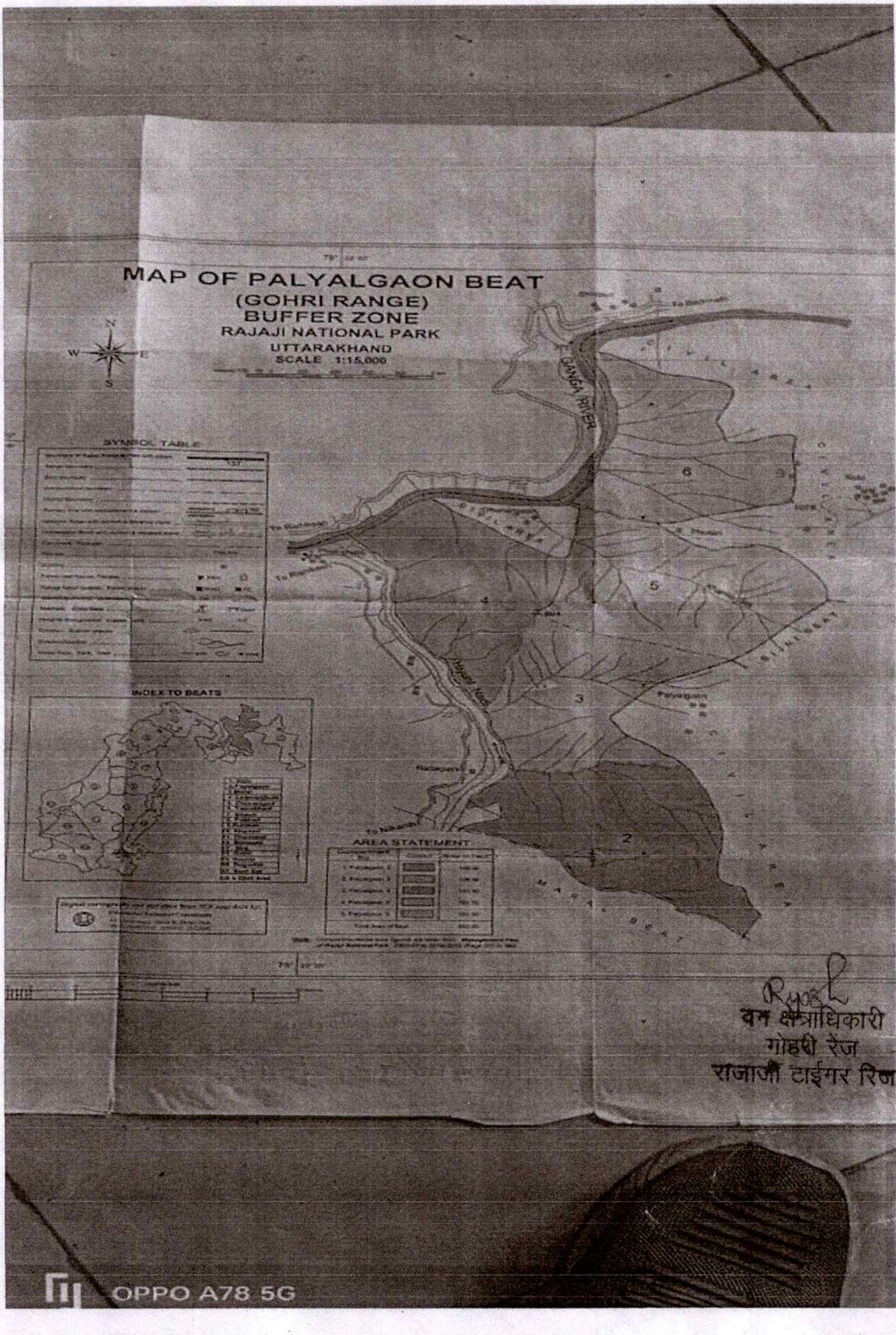

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व

जियोरेफेरेन्स मैप :–जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल–माला कोटा से सिरासु मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल

(क्षेत्रफल 12.512 है0)

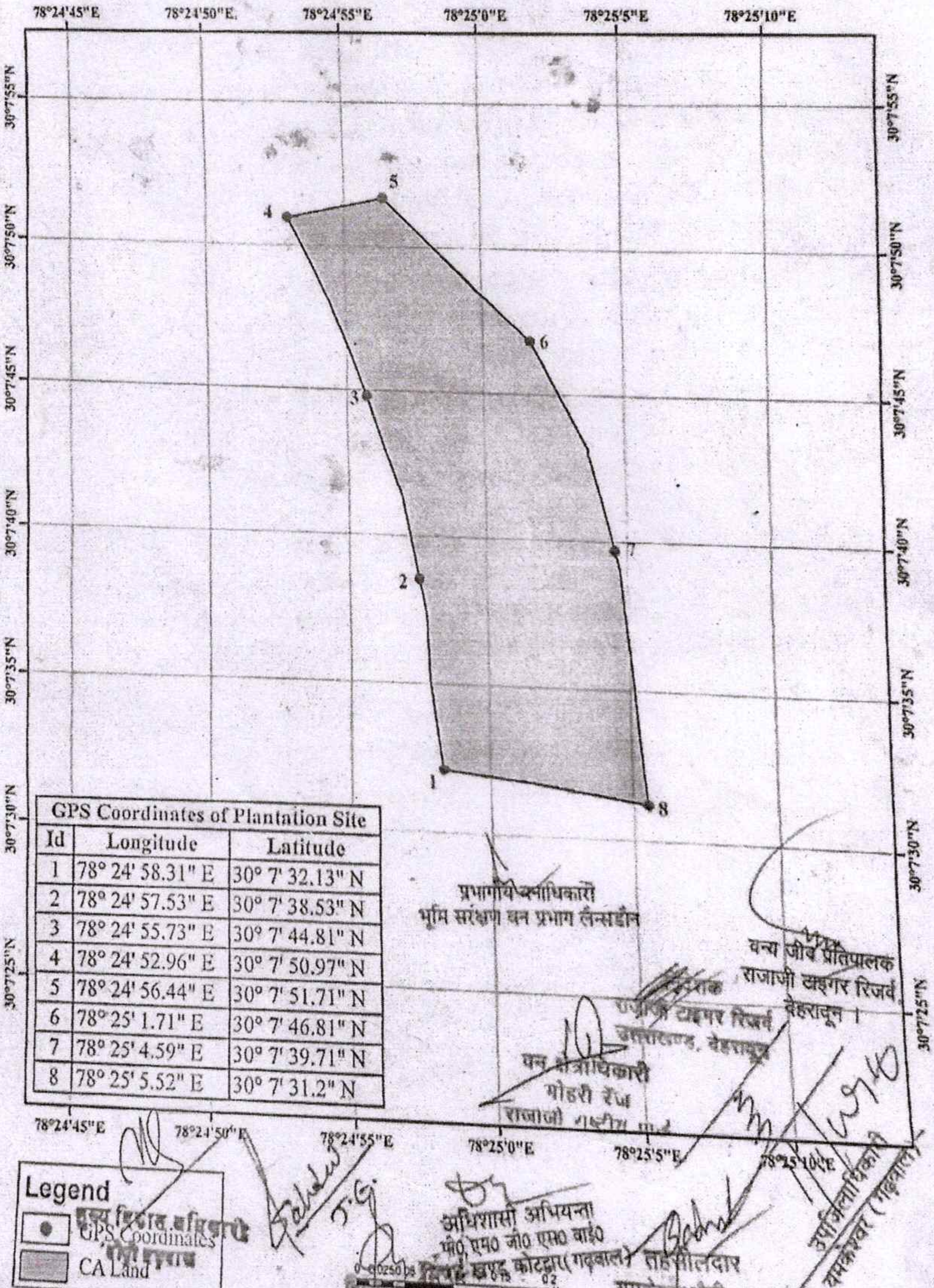

GPS Coordinates of Plantation Site

Id	Longitude	Latitude
1	78° 24' 58.31" E	30° 7' 32.13" N
2	78° 24' 57.53" E	30° 7' 38.53" N
3	78° 24' 55.73" E	30° 7' 44.81" N
4	78° 24' 52.96" E	30° 7' 50.97" N
5	78° 24' 56.44" E	30° 7' 51.71" N
6	78° 25' 1.71" E	30° 7' 46.81" N
7	78° 25' 4.59" E	30° 7' 39.71" N
8	78° 25' 5.52" E	30° 7' 31.2" N

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून।

निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
मोहरी रेंज
राजाजी राष्ट्रीय पार्क

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड कोटद्वार(गढ़वाल)

तहसीलदार
यमकेश्वर,पौड़ी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
यमकेश्वर (गढ़वाल)

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

डिजिटल मैप :–जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल–माला कोटा से सिरांसु मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल

(क्षेत्रफल 12.512 है0)

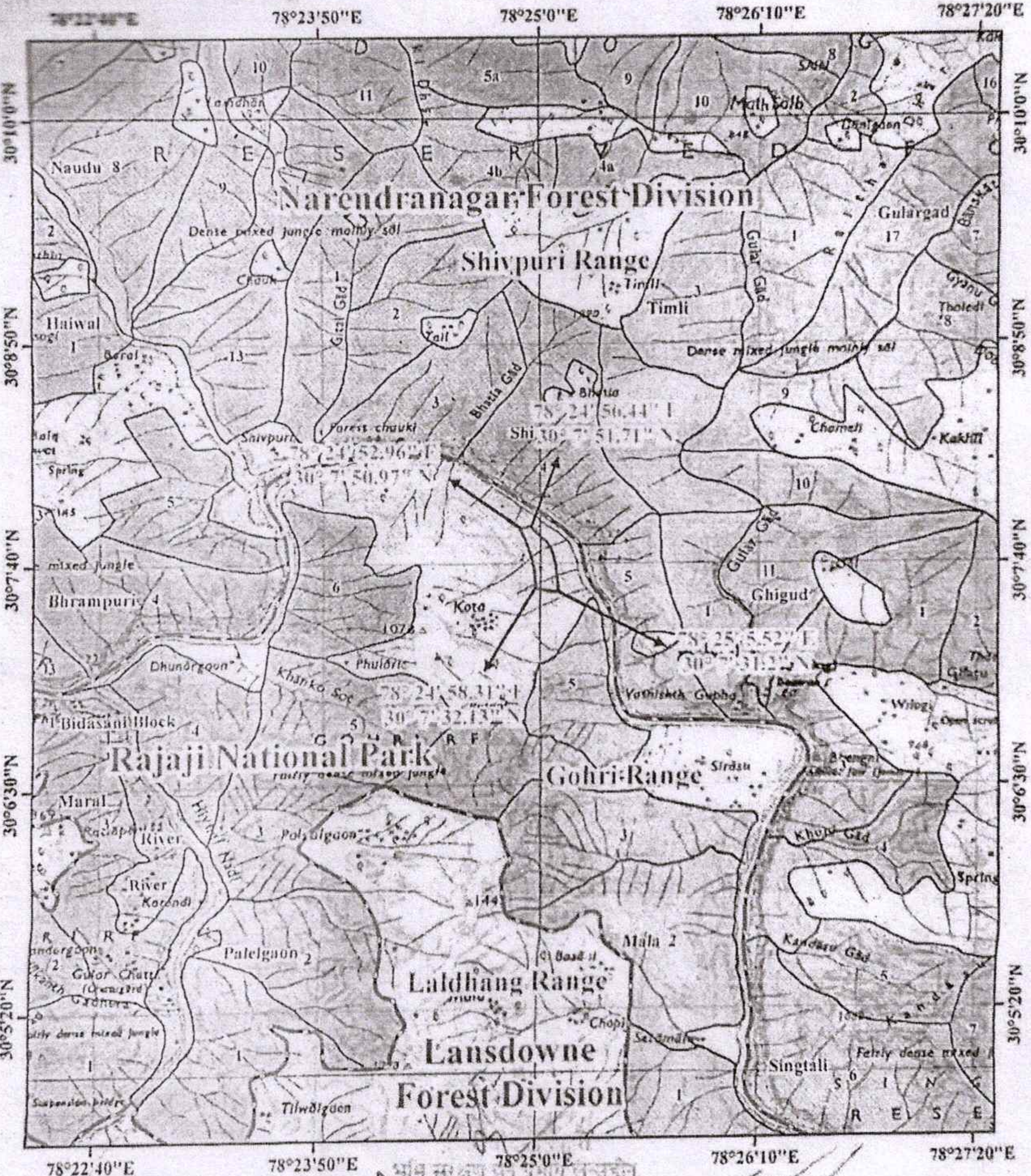

Legend

Range Boundary

Reserve Forest Area

Division Boundary

Proposed Land

Scale-1:50,000

अधिशासी अभियन्ता

लो0 नि0 वि0

Prepared by FPGC, PCCF Office, Dehradun

Tel/ Fax:- 01386-263144 e-mail:- dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः– 1318 /12-1 , लैन्सडौन, दिनांक, 16/2/ 2024

सेवा में,

निदेशक,
राजाजी टाइग्रर रिजर्व,
देहरादून।

विषयः– **जनपद–पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई 13 किमी) के निर्माण हेतु 8.821 हे0 (Earlier Proposed 9.541 ha.) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **आपका पत्रांक 1457 / 12–1 दिनांक 14.11.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कसाण पट्टी उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौडी गढवाल नॉन0जेड0ए0 खतोनी खाता संख्या– 15 श्रेणी 9(3)(ख)(2), जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष झाडियां पायी जाती है। खसरा संख्या– 1359 रकवा 8.590 हे0 मध्ये 5.130 हे0 भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की स्वीकृति जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा की गयी है।

अतः इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि का 1:50000 पैमाने का डिजीटल मानचित्र, जियोरिफरेन्स मानचित्र प्रस्ताव विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नः– तीन प्रतियों में उपरोक्तानुसार।

कार्यालय नि0 रा0 टा0 रि0
पत्रिका क्रमांक 9048
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 21-02-2024
.......आ0 का0 करें
संलग्न ..आख्या देवें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, गढवाल पौडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त तिथि को संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा को इस आशय से प्रेषित की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि का 1:50000 पैमाने का डिजीटल मानचित्र, जियोरिफरेन्स मानचित्र की **तीन–तीन प्रतियों में निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून** को उपलब्ध कराते हुये 01 प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

परियोजना का नाम – जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित नौडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई 13 किमी) के निर्माण हेतु 8.82 है0 वन भूमि का घेर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम में विकास का प्रत्यावर्तन

अक्षांतर :– N 29°57'39.24" देशान्तर:– E 78°19'57.40"

स्थल का क्षेत्रफल – 5.130 है0

भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन

क0 सं0	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य			
1	सर्वे प्लाट का चिन्हिकरण एवं सीमांकन (प्रति है0 में 0.10 है0 के 5 प्लाट, प्रत्येक प्लाट 04 पिलरो से घिरा रहेगा)	5.130 है0	230.00	1179.90
2	जैव विविधता व पुर्न उत्पादन सर्वेक्षण	5.130 है0	193.00	990.09
3	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	5.130 है0	1127.00	5781.51
4	क्षेत्र की सफाई	5.130 है0	1686.00	8649.18
घेरबाड कार्य				
5	कुली वाल (484.785 घ0मी0 प्रति है0 769.5 र0मी0 प्रति है0)	484.79 घ0मी0	528.00	255966.48
कांटेदार तारबाड (100 घ0मी0)				
6	भूमि संरक्षण कार्य 1– कन्टूर फर्रे 800 र0मी0 (800×31 = 24800) औसत साईज–1×0.30×0.30 2–चाल–खाल 2 सं0 (2×5000 = 10000) औसत साईज – 4×2.5×1.00 कुल योग – 34800	5.130 है0	34800.00	178524.00
	तारबाढ के साथ दो लड़ सोलर फेसिंग कार्य	5.130 है0	-	58995.00
7	बांज/बांज सहचरी/साल/साल सहचरी/चीड़ क्षेत्रों में सहचरी (बांस/काफल/फल्योंट/बुरांश) हैज नुमा पौधों की सिंगलिंग कार्य 770 पौध	770 पौध	12.00	9240.00
8	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की थावलाबंदी तथा मल्चिंग एक बार 1026 पौध	1026 पौध	3.30	3385.80
9	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुडाई प्रथम बार 1026 पौध	1026 पौध	4.08	4186.08
10	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुडाई द्वितीय बार 1026 पौध	1026 पौध	1.77	1816.02
11	पौध की कीमत 1026 पौध (1.5 वर्ष की पौध)	1026 पौध	19.86	20376.36
12	गड्डा खुदान कार्य (0.30×0.30×0.45)	1026 गड्ढा	12.0	12312.00
13	निरीक्षण बटिया	5.130 है0	1223.00	6273.99
14	खाद/रसायन	1026 पौध	0.60	615.60
15	देख रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 8 माह	8 माह	4890.00	39120.00
			Total	**607412.01**
16	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत			3037.06
17	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत			3037.06
18	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत			6074.12
19	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत			6074.12
20	अन्य आकस्मिक व्यय – 2 प्रतिशत			12148.24
21	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (भू–क्षरण रोकने हेतु चैक डेम)			**278000.00**
	प्रथम चरण का योग			**915782.61**
		या		**915659.00**

	द्वितीय चरण पौधारोपण कार्य				
1	गड्ढा भरान	1026	प्र0गड्ढा	2.00	2052.0
2	स्थानीय बीज एकत्रीकरण/क्रय करना	25.65	कि0ग्रा0	140.00	3591.0
3	कन्टूर फरों में बीज बुआई	1026	र0मी0	3.0	3078.0
4	पौध की कीमत	1026	पौध	2.67	2739.42
5	वाहन द्वारा 30 कि0मी0 दूरी से लॉडिंग व अनलोडिंग सहित	1026	पौध	3.31	3396.06
6	सिरबोझ ढुलान 03 कि0मी0 तक	61.56	सै0/कि0मी0	15.0	923.4
7	पौध रोपण	1026	पौध	3.42	3508.92
8	निराई–गुडाई, मल्चिंग एवं थावला बन्दी प्रथम वार	14364	पौध	4.08	58605.12
9	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364	पौध	1.77	25424.28
10	खाद/रसायन	14364	पौध	0.60	8618.40
11	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12.0	माह	4890.00	58680.00
12	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.130	है0	237.00	1215.81
				Total	**171832.41**
13	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत				859.16
14	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत				859.16
15	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत				1718.32
16	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत				1718.32
17	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत				3436.65
	द्वितीय चरण का योग				**180424.03**
				या	**180063.00**
	तृतीय चरण – अनुरक्षण कार्य				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12	माह	4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364	पौध	4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364	पौध	1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13	है0	237.00	1215.81
				Total	**143925.21**
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत				719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत				719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत				1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत				1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत				2878.50
	तृतीय चरण का योग				**151121.47**
				या	**150822.00**
	चतुर्थ चरण – अनुरक्षण कार्य				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12	माह	4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364	पौध	4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364	पौध	1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13	है0	237.00	1215.81
				Total	**143925.21**
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत				719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत				719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत				1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत				1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत				2878.50
	चतुर्थ चरण का योग				151121.47
				या	150822.00
	पंचम चरण – अनुरक्षण कार्य				

1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12 माह	4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364 पौध	4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364 पौध	1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13 है0	237.00	1215.81
			Total	143925.21
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत			719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत			719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत			1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत			1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत			2878.50
	पंचम चरण का योगः–			151121.47
			या	150822.00
	षष्ट्म चरण – अनुरक्षण कार्य			
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12 माह	4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364 पौध	4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364 पौध	1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13 है0	237.00	1215.81
			Total	143925.21
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत			719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत			719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत			1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत			1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत			2878.50
	षष्ट्म चरण का योगः–			151121.47
			या	150822.00
	सप्तम चरण – अनुरक्षण कार्य			
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12 माह	4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364 पौध	4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364 पौध	1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13 है0	237.00	1215.81
			Total	143925.21
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत			719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत			719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत			1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत			1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत			2878.50
	सप्तम चरण का योगः–			151121.47
			या	150822.00
	अष्टम चरण – अनुरक्षण कार्य			
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12 माह	4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364 पौध	4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364 पौध	1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13 है0	237.00	1215.81
			Total	143925.21
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत			719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत			719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत			1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत			1439.25

9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत				2878.50
	अष्टम चरण का योगः–				**151121.47**
				या	**150822.00**
	नवम चरण – अनुरक्षण कार्य				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12 माह		4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364 पौध		4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364 पौध		1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13 है0		237.00	1215.81
				Total	**143925.21**
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत				719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत				719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत				1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत				1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत				2878.50
	नवम चरण का योगः–				**151121.47**
				या	**150822.00**
	दशम चरण – अनुरक्षण कार्य				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	12 माह		4890.00	58680.00
2	निराई–गुडाई प्रथम बार	14364 पौध		4.08	58605.12
3	निराई–गुडाई द्वितीय बार	14364 पौध		1.77	25424.28
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।	5.13 है0		237.00	1215.81
				Total	**143925.21**
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत				719.63
6	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत				719.63
7	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत				1439.25
8	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर – 1 प्रतिशत				1439.25
9	अन्य आकास्मिक व्यय – 2 प्रतिशत				2878.50
				दशम चरण का योगः–	**151121.47**
				या	**150822.00**
				महायोग	**2302298.00**
	रूपये (तेइस लाख दो हजार दो सौ अठान्वे) मात्र				

वन क्षेत्राधिकारी,
ताल राजि

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
लैन्सडौन

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि सरंक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13 कि0मी0 के अन्तर्गत राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 9(3)(ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 5.130 है0 कुल 8.590 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक 53/08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0/2023 दिनांक 30.10.2023 से जारी आदेश के कम में ग्राम कसाण, पट्टी – उदयपुर-पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौडी गढ़वाल के NON-ZA खतोनी खाता सं0 15 श्रेणी 9(3)(ख)2 खसरा सं0 1359 मध्ये 5.130 है0 कुल 8.590 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया गया हैं। आज दिनांक 05.02.2024 को उक्त भूमि विभागीय कब्जे में ले ली गयी है, जो कि सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
व0आ0/व0द0	वन क्षेत्राधिकारी ताल रेंज	प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	उप प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	राजस्व विभाग (प्रतिनिधि)

प्रपत्र – 43

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित नौड़खाल–माला–कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई 13 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>साल सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि साल सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि ग्राम कसाण स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त हैं।

वन क्षेत्राधिकारी, ताल राजि	उप प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Anx-3

17.

Stage-I Clearance Report

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/201/2019/FC/06	29/04/2020	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demmand Generated By User Agency	Demmand Verified By Nodal Officer	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/11142/2015	ROAD111422015408	44,584,580.00	44,584,580.00	21/01/2021	PUNB102017886363	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	14/07/2020	15/07/2020	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

(i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes

(ii). Total Land identified for raising CA: 9.72

(iii). No. of Maintenance years: 99

(iv). Total No. of Patches/Parcel: 1

No. of patches : 1

Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
1	Block(Polygon)	9.72

Status of CA Land so identified : Non Forest Area

Site Name : Bhelduga

Location Details : Bhelduga

Uploaded GPS File :

Uploaded Scanned copy of Map :

Mutation Status : Mutated

फोन : 0135 2621669, फैक्स : 0135 2620933, e mail: director.rajaji@gmail.com
कार्यालय, निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.
5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून, 248001.

पत्रांक 191 / 12-1 दिनांक, देहरादून 14 जुलाई 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, दुगड्डा, पौड़ी गढवाल।

विषयः- जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौडखाल-मालाकोटा से सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 है0 (earlier proposed 9.541 ha) वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/201/2019/एफ0सी0/06 दिनांक 29.04.2020 एवं आपका पत्रांक 447/PMGSY/2020/52 दिनांक 17.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्रांक 4343/12-1 दिनांक 11.05.2020 द्वारा निर्गत डिमान्ड नोट को आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

क्र0 सं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है	क्षेत्रफल (है0 में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	कुल धनराशि
शर्त संख्या - 3 क्षतिपूरक वृक्षारोपण				
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	17.642 है0	337184.00	5948600.00
शर्त संख्या - 5 एन0पी0वी0				
2	एन0पी0वी0 वन भूमि (राजाजी टाईगर रिजर्व)(घनत्व 0.1)	8.821 है0	438000.00 x 10	38635980.00
			कुल योग	4,45,84,580.00

(रू0 चार करोड पैतालीस लाख चौरासी हजार पांच सौ अस्सी मात्र)

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुए 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी0के0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को इस कार्यालय के उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में।

(डी0के0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।

Scanned with CamScanner

File No.5-3/2011-FC(Vol-I)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi - 110003
Dated: 2 March, 2022

To,

1. **The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest), All State Governments/UTs**
2. **The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF,All State Governments/ UTs**

Subject: Clarification regarding applicability of revised rates of Net Present Value - reg.

Madam/Sir,

I am directed to invite reference received from various State Government in the Ministry on the above mention subject. The matter has been examined in this Ministry and it is clarified that revised rates of Net Present Value will be applicable as under:

a. **New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage-I / in-principle approval after 06.01.2022.**
b. **The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage-I / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage-II/Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage-I / in-principle approval.**

This clarification is issued in suppression of earlier order no. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 19.01.2022.

Yours sincerely,

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State Governments/UTs;
2. The Regional Officer, All Integrated Regional Offices of the MoEF&CC;
3. Monitoring Cell, FC Division, MoEFCC, New Delhi;
4. Guard File.

Signed by Sandeep Sharma
Date: 21-03-2022 21:00:54
Reason: Approved

फोन : 0135 2621669, फैक्स : 0135 2620933, e mail: director.rajaji@gmail.com ,

RAJAJI TIGER RESERVE

कार्यालय, वन संरक्षक / निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.

5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांकः 1008 / 12-1 दिनांक, 25/04/2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद– पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौडखाल–माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 है0 (earlier proposed 9.541ha) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक सं0 – 08बी/यू0सी0पी0/08/201/2019/एफ0सी0/06 दिनांक 29.04.2020 तथा National Projects Construction Corporation limited Uttarakhand office Dehradun का पत्रांक सं0 UK0/PMGSY/08 दिनांक 24.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना के वन भूमि हंस्तातरण प्रस्ताव को भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैधानिक स्वीकृति की शर्त सं0 03(क) के अनुसार – **"वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सिविल भूमि खसरा नं0 714, 735, 737, 756, ग्राम माला एवं खसरा नं0 1140, 1141, ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा"** के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि खसरा संख्या – 714,735,737,756 कुल रकवा 6.570 है० मध्ये 5.13 है० भूमि जो कि निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्रांक संख्या 849/12–1 देहरादून दिनांक 14.09.2023 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुर्पयुक्त बताई गयी थी तदोपरांत पुनः अन्य राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 9(3) (क) खसरा संख्या 1359 मध्ये 8.590 है० कुल 5.13 है० ग्राम कसान पट्टी उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत चयनित की गयी जिसका अमलदरामद इत्यादि की जा चुकी है।

अतः विषयगत परियोजना हेतु **"वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर अन्य राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 9(3) (क) खसरा संख्या 1359 मध्ये 8.590 है० कुल 5.13 है० ग्राम कसान पट्टी उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर एवं खसरा नं0 1140, 1141, ग्राम कोटा तहसील यमकेश्वर में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा"।**

महोदय से निवेदन है कि सैद्धांतिक स्वीकृति के बिंदु संख्या–3 (क) प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में संसोधन करवाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार के समक्ष आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सलंग्नः– यथोपरि

भवदीय,

(महातिम यादव)
उप वन संरक्षक/उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 1008 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Mahati

(महातिम यादव)
उप वन संरक्षक/उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नौडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13 कि0मी0 के अन्तर्गत राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 1(3)(ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 8.590 है0 कुल 5.136 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक 53/08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0/2023 दिनांक 30.10.2023 से जारी आदेश के कम में ग्राम कसाण, पट्टी – उदयपुर-पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौडी गढ़वाल के NON-ZA खतोनी खाता सं0 15 श्रेणी 1(3)(ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 8.590 कुल 5.1308 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया गया हैं। आज दिनांक 05-02-2024 को उक्त भूमि विभागीय कब्जे में ले ली गयी है, जो कि सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
व0आ0 / व0द0	वन क्षेत्राधिकारी ताल राजि भूमि	प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	उप प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	(मनोज ...) राजस्व विभाग (प्रतिनिधि)

Scanned with CamScanner

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला–कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13 कि0मी0 के अन्तर्गत राज्य सिविल भूमि खाता संख्या 15 श्रेणी 1(3)(ख) खसरा सं0 1359 मध्ये 5.1306 कुल 8.590 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक 53/08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0/2023 दिनांक 30.10.2023 से जारी आदेश के कम मे ग्राम कसाण, पट्टी – उदयपुर-पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौडी गढवाल के NON-ZA खतोनी खाता सं0 15 श्रेणी 1(3)(ख)2 खसरा सं0 1359 मध्ये 5.1306 कुल 8.590 है0 सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया गया हैं। आज दिनांक 05.02.2024 को उक्त भूमि विभागीय कब्जे में ले ली गयी है, जो कि सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
व0आ0 / व0द0	वन क्षेत्राधिकारी, ताल राजि	प्रभागीय वनाधिकारी भू0स0व0प्र0 लैन्सडौन	उप प्रभागीय वनाधिकारी भू0स0व0प्र0 लैन्सडौन	राजस्व विभाग (प्रतिनिधि)

Scanned with CamScanner

जियोरेफरेन्स मैप:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नौड़खाल माला कोटा से सिरासू मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 5.130 है०)।

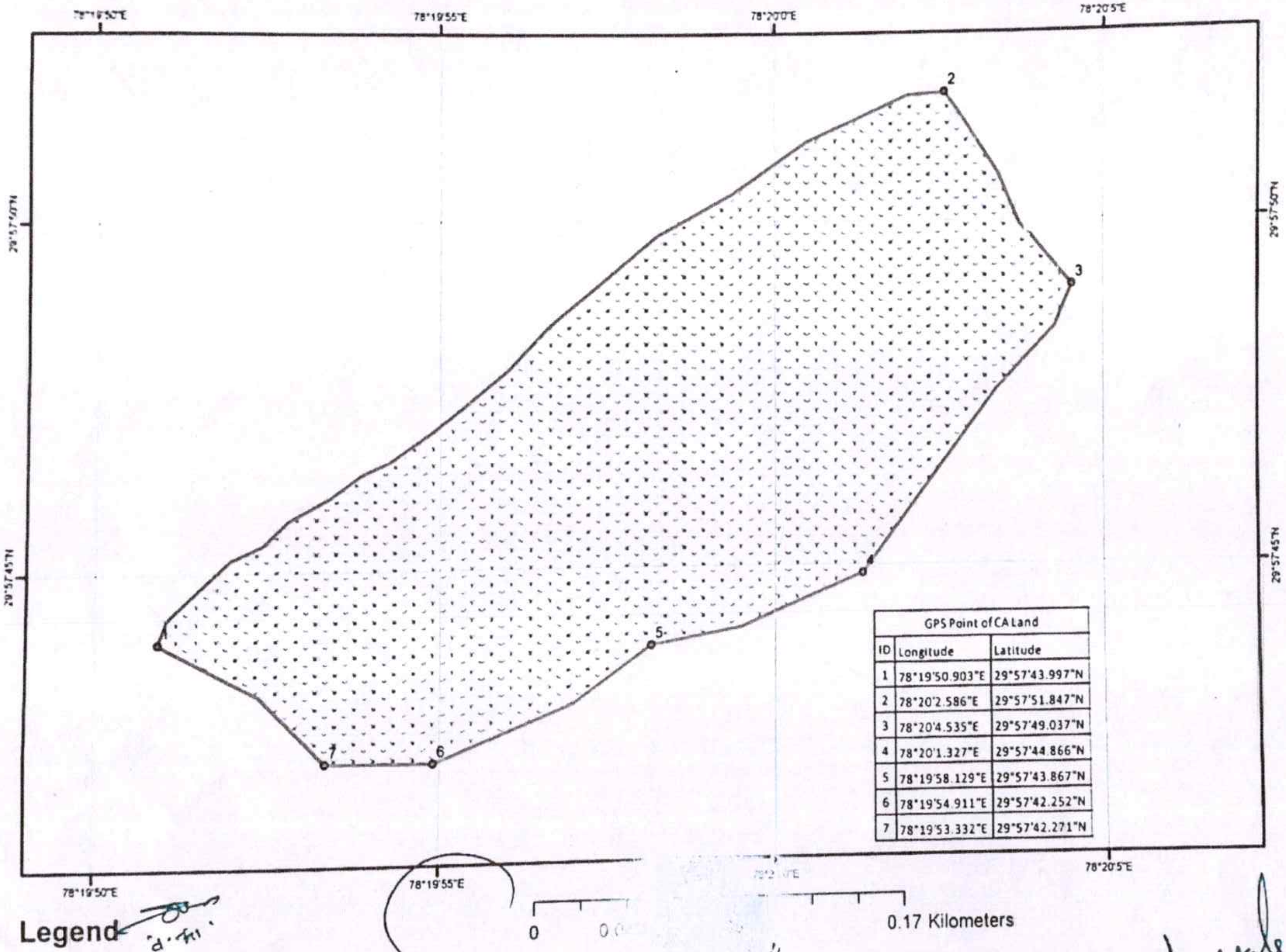

GPS Point of CA Land

ID	Longitude	Latitude
1	78°19'50.903"E	29°57'43.997"N
2	78°20'2.586"E	29°57'51.847"N
3	78°20'4.535"E	29°57'49.037"N
4	78°20'1.327"E	29°57'44.866"N
5	78°19'58.129"E	29°57'43.867"N
6	78°19'54.911"E	29°57'42.252"N
7	78°19'53.332"E	29°57'42.271"N

वन क्षेत्राधिकारी
पाल रैंज
भू०सं० वन प्रभाग
लैन्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

Scanned with CamScanner

डिजीटल मानचित्र :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नौड़खाल माला कोटा से सिरासू मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 5.130 है०) ।

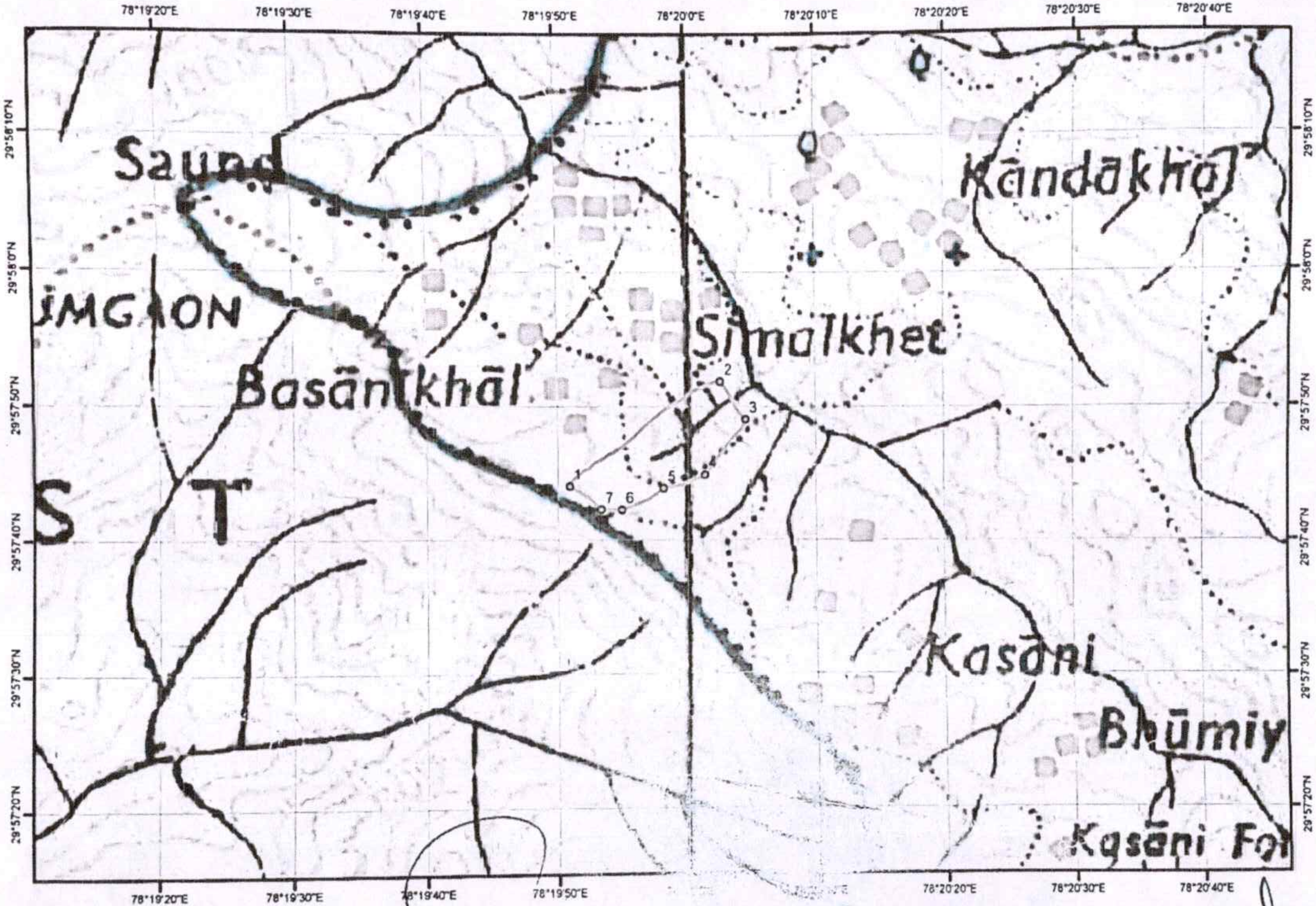

SOI Toposheet No 53K/5

Legend
GPS Pt of Proposed CA
Reserve Forest Boundary
Proposed CA

0 0.225 0.45 Kilometers

GPS Point of CA Land		
ID	Longitude	Latitude
1	78°19'50.903"E	29°57'43.997"N
2	78°20'2.586"E	29°57'51.847"N
3	78°20'4.535"E	29°57'49.037"N
4	78°20'1.327"E	29°57'44.866"N
5	78°19'58.129"E	29°57'43.867"N
6	78°19'54.811"E	29°57'42.252"N
7	78°19'53.332"E	29°57'42.271"N

वन क्षेत्राधिकारी
... रेंज
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन

Scanned with CamScanner

REC Meeting Letter

Gmail Nodal officer <nodalofficerddn@gmail.com>

Regarding REC Letter

1 message

Nodal officer <nodalofficerddn@gmail.com> 12 January 2024 at 10:34

To: "Regional Office (NCZ) Dehradun" <moef.ddn@gov.in>, MoEF RODDN <moef.ddn@gmail.com>, "DFO Lansdowne (SC)" <dfo_soillansdowne@rediffmail.com>, DFO Tarai East <dfote-forest-uk@nic.in>, DFO Tarai East <dfote@rediffmail.com>, DFO Badrinath <dfobadri-forest-uk@nic.in>, DFO Badrinath <dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in>, eepmgsykotdwara@rediffmail.com, nhidclddn@gmail.com, ee_ndhal@rediffmail.com

PFA

--

From

TEAM
Additional Principal Chief Conservator of Forest
and Nodal Officer, Land Survey Directorate,
Forest Department, Govt. of Uttarakhand,
Indranagar Forest Colony, Dehradun,
Uttarakhand, India - 248006

Save Paper!!! **Save Trees!!!** **Save Environment!!!**
कागज़ बचाएं!!! वृक्ष बचाएं!!! पर्यावरण बचाएं!!!

कृपया महत्त्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक जानकारी को ही प्रिंट करें |
Kindly print very important & necessary information only.

REC LETTER (2).pdf
397K

भारत सरकार आर0ई0सी0 बैठक/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1373 /20–40(REC) देहरादूनः दिनांकः 11 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित आगामी रीजनल एम्पावर्ड कमेटी (REC) की बैठक में चर्चा हेतु रखे जाने वाले वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित आगामी रीजनल एम्पावर्ड कमेटी (REC) की बैठक में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों पर चर्चा की जानी प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि निम्नलिखित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों को आगामी REC की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तावित करने की कृपा करें :–

Agenda of the Regional Empowered Committee (REC) meeting

Agenda Item No	File Number/Online Number	Name of the Proposal	Area (in ha.)	Remarks if any
01	FP/UK/ROAD/11142/2015	Naudkhal Malakota Road to Sirasu M R District-Pauri	8.821	
02	FP/UK/OTHERS/435756/2023	Relocation of Hon'ble High Court Establishment from Nainital to Gaulapar Haldwani, District Nainital	26.08	
03	FP/UK/ROAD/39349/2019	Diversion of forest land for widening and strengthening of existing road from Km 399.000 to Km 460.000 of NH-07 (Old NH-58) under Badrinath Forest Division in Chamoli District of Uttarakhand.	40.8916	

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्याः 1317 /20–40 (REC) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. महाप्रबन्धक, परियोजना, NHIDCL लेन नं0–1 अपर भक्तियाना, पौड़ी रोड़, श्रीनगर गढ़वाल।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

O/C

13	स्थानीय बीज एकत्र करना	5kg/h	182/–	–	910.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	कन्टूर फरो में बीज बुआई 200	प्र0है0	4/–	–	800.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	निराई गुडाई मलचिंग एवं थावला बन्दी 200 प्राकृतिक पौध प्रथम बार	प्र0है0	5.31	–	1062.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	निराई गुडाई मलचिंग एवं थावला बन्दी 200 प्राकृतिक पौध द्वितीय बार	प्र0है0	2.31	–	462.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	देखरेख एवं रखरखाव 12 माह 10 है0 आधार मानकर 14898/–माह	प्र0है0	14898/–	–	14898.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	सुरक्षा दीवार घेरबाड के बाहर 5 मी0 चौडाई पट्टी की सफाई	प्र0है0	367.00	–	367.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	द्वितीय वर्ष का योग			–	**18499.00**	–	–	–	–	–	–	–	–	**18499.00**
19	देखरेख एवं रखरखाव 12 माह 10 है0 आधार मानकर 14898/–माह	प्र0है0	14898.00	–	–	14898.00	14898.00	14898.00	14898.00	14898.00	14898.00	14898.00	14898.0	–
20	निराई गुडाई मलचिंग एवं थावला बन्दी 200 प्राकृतिक पौध प्रथम बार	प्र0है0	5.31	–	–	1062.00	1062.00	1062.00	1062.00	1062.00	1062.00	1062.00	1062.00	–
21	निराई गुडाई मलचिंग एवं थावला बन्दी 200 प्राकृति पौध द्वितीय बार	प्र0है0	2.31	–	–	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	–
22	सुरक्षा दीवार घेरबाड के बाहर 5 मी0 चौडाई पट्टी की सफाई	प्र0है0	367.00	–	–	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	–
	योग			–	–	16789.00	16789.00	16789.00	16789.00	16789.00	16789.00	16789.00	16789.00	–
	तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम एवं दशम वर्ष सम्पूर्ण योग			–	–	**16789.00**	**16789.00**	**16789.00**	**16789.00**	**16789.00**	**16789.00**	**16789.00**	**16789.00**	**134312.00**
	अन्य कार्यालय एंव स्टेशनरी व्यय			275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	**2750.00**
	कुल योग													**291710.00**

प्रति हैक्टयर व्यय – 291710.00

12.50 हैक्टयर व्यय – 291710.00 x 12.50 = 3646375.00

या 36,46,300.00

Dy. Director
RAJAJI TIGER RESERVE,
DEHRADUN

वन क्षेत्राधिकारी
मोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व